धन के कतिपय पहलू का भी उल्लेख किया है। उन्होंने उन 20 क्षेत्रों की सूची दी है, जिसमें अवैध धन सृजित होता है और उन पांच क्षेत्रों के सम्बंध में प्रतिक्रियाएं प्राप्त कीं, जिनके लिए प्रतिवादियों ने अवैध धन के सृजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में समझा। इस सम्बंध में फिल्म उद्योग को तीसरा अति महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्थान दिया गया है। यद्यपि अवैध धन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी सरकार इस उद्योग में अवैध धन के सृजन की रोकथाम के लिए आवश्यक सांविधिक एवं प्रशासनिक उपाय करती है। आयकर अधिनियम की धारा 44-एए में उपबंध किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत कारोबार करने वाले हर व्यक्ति के लिए कानून द्वारा निर्धारित लेखा-पुस्तिकाओं को रखना एवं उनको बनाए रखना अपेक्षित है तथा कर निर्धारणों की छानबीन में इनकी जांच-पड़ताल की जाती है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फिल्मी कलाकारों, कैमरामैन, निदेशकों, आदि को व्यावसायिकों के रूप में अधिसूचित किया है, जिनसे धारा 44-एए के अन्तर्गत लेखा-पुस्तिकाओं को बनाए रखना अपेक्षित है। इन व्यक्तियों के कर निर्धारण के बेहतर निपटान के लिए विशिष्ट फिल्म परिमण्डल भी सृजित किए गए हैं और इन मामलों में कर अपवंचन को मालूम किया जा सके। फिल्म निर्माताओं द्वारा 5,000/- रु० से अधिक के भुगतान के विवरण पत्र को उसी समय प्रस्तुत करने के बारे में धारा 285बी में सांविधिक उपबंध भी बनाए गए हैं। इसकी जांच पड़ताल कर-निर्धारणों की छानबीन के समय की जाती है। आयकर जांच खण्ड 10,000/- रु० से अधिक के ऐसे भुगतानों का है, प्रतिसत्यापन भी करता है। तलाशी, सर्वेक्षण तथा अन्य जांच-पड़ताल के माध्यम से इन मामलों में, जब कभी कर-अपवंचन की कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है, कार्यवाहियां भी की जाती हैं।

मितव्ययिता उपायों के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना

3466. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय मंत्रालयों ने मितव्ययिता उपायों के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन विभागों के नाम क्या हैं जिन्होंने पूर्वोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) व्यय में किफायत बरतने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को करना होता है। इन अनुदेशों के उल्लंघन का कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

प्रत्यक्ष करों की वसूली संबंधी अपीलों का निपटान।

3467. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष करों की वसूली सम्बन्धी अपीलों के निपटान के कार्य की गति असंतोषजनक है।

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन अपीलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या उपाय किए हैं : और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान निपटाई गई अपीलों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : (क) और (ख) प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों अर्थात् उप आयकर आयुक्तों (अपील) तथा आयकर आयुक्तों (अपील) द्वारा अपीलों का निपटान यथाशीघ्र किए जाने हेतु सभी संभव उपाय किए जाते हैं । इन प्राधिकारियों को पुरानी अपीलों तथा ऐसी अपीलों के निपटान को प्राथमिकता देनी अपेक्षित होती है, जिनमें पर्याप्त राजस्व अन्तर्ग्रस्त हो । सरकारी पक्ष को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलें अत्यंत चयनात्मक आधार पर तथा जिनमें भारी भरकम राजस्व अन्तर्ग्रस्त हो, उन्हें ही दायर करना अपेक्षित होता है तथा ऐसा केवल कड़ी संवीक्षा के पश्चात ही किया जा सकता है ।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान निपटाई गई अपीलों की संख्या निम्नानुसार है :—

वित्त वर्ष	उप-आयकर आयुक्त (अपील)	आयकर आयुक्त (अपील)	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
1989—90	73,333	90,202	58,885
1990—91	88,918	90,599	54,976
1991—92	82,367	94,029	60,167

Appointment of Chief Executive of Andhra Bank

3468. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI N. GIRIPRASAD :
DR. YELAMANCHILI SIVAJI:

Will the Minister of FINANCE be } pleased to state :

(a) whether it is a fact that the candi dature of Mr. A. T. Akolkar, presently Executive Director of Andhra Bank was ; recommended by the Banking Appoint ments Committee and his Ministry for the post of Chief Executive of the Andhra Bank, despite the involvement of the Andhra Bank and its subsidiary the Andhra Bank Financial Services Ltd. in the security Soam.

(b) whether it is a fact that the Prime Minister has blocked the appointment; *KOA;*

(c) if so, what are the reasons therefor and what action has been taken against the officials involved in this selection ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) to (c) A proposal was submitted for appointment of Shri A. T. Akolkar, Executive Director, Andhra Bank as Chairman and Managing Director, Andhra Bank in November, 1992. The proposal was submitted after obtaining necessary vigilance clearance as required and after taking into account his suitability for the post. The proposal has not been approved by the Appointments Committee of the Cabinet. It would not be in public interest